रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012021-224388
CG-DL-E-14012021-224388

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 13, 2021/पौष 23, 1942
No. 119] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 13, 2021/PAUSHA 23, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2021

का.आ. 139(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में NH49 के कि.मी. 230 से कि.मी. 271 (अ- बिसोइ, प०.बिसोइ, प/स बिसोइ, डिस्ट - मयुरभंज .) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "३०-१०-२०२० " को **"दि टाइम अफ इंडिआ"** और **"दि धरित्री "** दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की

उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में NH49 के कि.मी. 230 से कि.मी.271 (अ- बिसोइ, प०.बिसोइ, प/स बिसोइ, डिस्ट - मयुरभंज .) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण ।

राज्य का नाम: उड़ीसा	**जिले का नाम: मयूरभंज**				
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बिसोई				
	गांव का नाम: अस्हना				
1	389	निजी	रास्ता	0.0283286	बासिनि गिरि, पति - करुणाकर गिरि, जाति- गोपाल, गाँव- निजिगाँव. (३८९)
	गांव का नाम: माझिगाँ				
2	304/7□□/775	निजी	सारद २	0.0283286	राइमणी सोरेन, पति- हुदु सोरेन, जाति- संताल, गाँव- निजिगाँव. (३०४/७१४/७७५)
3	308	निजी	सारद २	0.0161877	राइमणी सोरेन, पति- हुदु सोरेन, जाति- संताल, गाँव- निजिगाँव. (३०८)
	गांव का नाम: सानमणदा				
4	645/919	निजी	आसु	0.0283286	अंपा मारान्डि, पिता- दखिन मारान्डि,जाति- संताल,गाँव- निजिगाँव. (६४५/९१९)
			कुल	**0.10123**	

[फा. सं. NHAI/11013/Odisha/NH-6/L.A./Notification/3(a)/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2021

S.O. 139(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH49 on the stretch of land from Km 230 to Km 271 (At- Bisoi, Po. Bisoi, P/s. Bisoi,Dist - Mayurbhanj.) in the district of MAYURBHANJ in the state of ODISHA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Times of India” and “The Dharitri” both dated 30-10-2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH49 in the stretch of land from NH49 (At- Bisoi, Po. Bisoi, P/s. Bisoi,Dist - Mayurbhanj.) in the district of MAYURBHANJ in the state of ODISHA

State: ODISHA	**District: MAYURBHANJ**				
Sr. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bisoi				
	Village: Ashana				
1	389	Private	Rasta	0.0283286	Basini Giri, W/o- Karunakar Giri, Caste-Gopal, Vill- Nijigoan. 389
	Village: Majhigan				
2	304/714/775	Private	Sarad II	0.0283286	Raimani Soren, W/o- Hudu Soren, Caste- Santal, Vill- Nijigoan. 304/714/775
3	308	Private	Sarad II	0.0161877	Raimani Soren, W/o- Hudu Soren, Caste- Santal, Vill- Nijigoan. 308
	Village: Sanamanada				
4	645/919	Private	Asu	0.0283286	Anpa Marandi, S/o- Dakhin Marandi, Caste- Santal, Vill- Nijigoan 645/919
			TOTAL	**0.10123**	

[F. No. NHAI/11013/Odisha/NH-6/L.A./Notification/3(a)/3D]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM